(नियम 23)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

विजयपाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्याः–147/2025 (GCMS No. 2025/368)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से चक 2 एपी के खाता संख्या 10 की 1.973 में 1/12 हिस्सा व चक 3 एमसी के खाता संख्या 43 की 4.757 हैक्टर में 1/2 हिस्सा व चक 3 एमसी के खाता संख्या 79 की 13.965 हैक्टर के खाता में 2327/13965 हिस्सा व चक 1 एसएलडी के खाता संख्या 28 की 1.012 हैक्टर के खाता में 1/6 हिस्सा व चक 1 एपी के खाता संख्या 70 की 0.417 हैक्टर के खाता में 1/6 हिस्सा व चक 1 एपी के खाता संख्या 40 की 3.908 हैक्टर के खाता में 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम पालाराम दर्ज है। बचपन में प्रार्थी को दो नामों पालाराम व विजयपाल के नाम से जाना जाता था। बैयनामा के समय प्रार्थी का नाम पालाराम अंकित है। उस समय आधार कार्ड नही बनता था एवं मतदाता परिचय पत्र बना हुआ नही था। प्रार्थी का वर्तमान में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम विजयपाल लिखा हुआ है। पहचान के दस्तावेजों एवं भूमि के दस्तावेजों में नाम भिन्न होने के कारण प्रार्थी को कठिनाई हो रही है। प्रार्थी कृषि संबंधी लाभ से वंचित हो रहा है। प्रार्थी अपना नाम पालाराम के स्थान पर विजयपाल रखना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम जैरप्रकरण रकबा में पालाराम के स्थान पर विजयपाल दर्ज करने के आदेश पारित किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी का नाम पूर्व में विजयपाल अंकित था। इसके पश्चात् सहवन से पालाराम अंकित हो गया। प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि प्रार्थी का शुरू से ही नाम पालाराम अंकित करवाया गया था। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है। क्योंक राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि सही अंकित हुई है। उक्त प्रकरण दुरस्ती का नही बनने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.10.28 17:10:15 IST Reason: SelfAttested I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	